न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज बनाम मु. सं.
	दिनांक 20.7.22 आज पत्रावली पेश हुई। वकील...प्रार्थी... पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.7.22 को पेश हो। रीडर
	दिनांक 22.7.22 आज पत्रावली पेश हुई। वकील...प्रार्थी... पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 03.8.22 को पेश हो। रीडर
03.08.22	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय वहस सुनी गयी। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि संपत्ति पूर्वज नेता ग्राम बालाहेडी तहसील महवा की आराजी ख.नं. 199,845,70 कुल किता 3 रकबा 1.41 हैक्टर जिनके भू प्रबन्ध के बारान ख. नं.32, 67 व 102 रहे है। उक्त भूमि प्रार्थिया की पैत्रिक सम्पत्ति है जो विरासत में प्राप्त हुई है एवं प्रार्थिया अपने पूर्वज मृतक नेता की कानूनी एवं जायज वारिस है। प्रार्थिया के मृतक पिता ने अपने जीते जी सभी वारिसों को जमीन बराबर भागो में बॉट दी और उसी समय से सभी वारिसान अपने–अपने हिस्से पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थिया अपने हिस्से में बोई गई गेहूँ की देखभाल कर रही थी तो अप्रार्थी सं. 1 मौके पर आ धमका। अप्रार्थी कहने लगा कि तुम्हारी बोई फसल को मैं काटूँगा। प्रार्थिया ने हाथ जोडकर कहा कि मैं तो पिताजी की मृत्यु के समय से ही मेरे हिस्से की जमीन पर काश्त करती चली आ रही हूँ। लेकिन अप्रार्थी नाराज हो गया और राजी खुशी मानने को तैयार नहीं है। ऐलानिया धमकी दी कि लट्ठ व पैसे वाले को जमीन का बेचान कर दूँगा। इस प्रकार अप्रार्थी सं.1 अपने नापाक इरादे में सफल हो गया तो प्रार्थिया के हक हकूकों से हमेशा के लिये महरुम हो जावेगी। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थिया के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थी सं.1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण तामील के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज कमला बनाम अनिलकुमार मु. सं. 50/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हमने प्रार्थिया के वकील की वहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि खातेदारी अनिलकुमार पुत्र कमल जाति वैरवा सा. देह दर्ज है। सम्पूर्ण खाता अनिलकुमार के नाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थिया मृतक किशोरी की सम्पत्ति में वारिसान होने के कारण उक्त भूमि में अपना हिस्सा लेने का अधिकारी है एवं मृतक पिता के समय से ही अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करती चली आ रही है। यह पारिवारिक मामला है। यदि अप्रार्थी अपने मंसूवों में कामयाव हो गया तो प्रार्थिया के कानूनी वारिसान होने के वावजूद भी खातेदारी अधिकारों का हनन होगा। ऐसी स्थिति में हम अप्रार्थी सं. 1 को पावंद करना उचित समझते है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी सं.1 को वादपत्र के निर्णय तक ग्राम बालाहेडी तहसील महवा की आराजी ख.नं. 199,345,70 कुल किता 3 रकबा 1.41 हैक्टर में प्रार्थिया के हिस्से एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखत न तो स्वयं पैदा करें न ही किसी अन्य से करावें, मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	

Scanned by CamScanner